



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 525 राँची, शुक्रवार,

4 नवम्बर, 2022 (ई०)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

2 नवम्बर, 2022

विषय:- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत **Commercial Pilot's Licence (CPL)**, ग्लाइडिंग एयरोमॉडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन हेतु झारखण्ड उड़्डयन संस्थान (**Jharkhand flying Institute**) नामक समिति के गठन तथा इसके **Memorandum of Association** के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में।

पत्रांक-ना.वि.-II-08/2012/785-- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में ग्लाइडिंग एवं एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही दुमका में **PPP model** पर **CPL** प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मुख्य रूप से निम्नांकित संसाधनों की आवश्यकता होती है:-

- क. प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आधारभूत संरचना ।
- ख. प्रशिक्षण हेतु वायुयान ।
- ग. प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक एवं अन्य गैर तकनीकी कार्यबल ।
- घ. वायुयानों के अनुरक्षण हेतु कार्यबल ।
2. प्रशिक्षण का संचालन DGCA, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियमों/परिनियमों के आधार पर किया जाता है जिसके अनुपालनार्थ एक सुदृढ़ एवं अग्रसक्रिय प्रबंधन तथा corpus fund का होना अत्यावश्यक है।
3. उपरोक्त वैमानिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के निमित्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा Societies Registration Act, 1860 के तहत झारखण्ड उड़्डयन संस्थान (Jharkhand Flying Institute) नामक समिति का गठन निम्नवत करने का निर्णय लिया गया है:-
- क) समिति का संचालन Governing Council द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार होंगे तथा उपाध्यक्ष निदेशक, संचालन, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार होंगे। उक्त Governing Council में न्यूनतम 05 तथा अधिकतम 10 सदस्य होंगे जिसकी विस्तृतविवरणी समिति के Memorandum of Association में अंकित है।
- ख) समिति के निम्नलिखित मूल उद्देश्य होंगे:-
- मुख्य रूप से विमानन क्षेत्र में उन्नयन तथा प्रशिक्षण का कार्य ।
 - यथासंभव cost covering principles के आधार पर कार्य करते हुए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास ।
 - ग्लाइडिंग प्रशिक्षण, मोटर ग्लाइडिंग प्रशिक्षण, फिक्सड विंग वायुयान प्रशिक्षण, एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण आदि अन्य वैमानिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का कार्य ।
 - प्रशिक्षण के निमित्त वायुयानों, उपस्करों आदि का क्रय तथा अनुरक्षण ।
 - प्रशिक्षुओं को स्तरीय वैमानिकी प्रशिक्षण प्रदान करना ।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम के निमित्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल एवं अचल संपत्ति का क्रय, लीज अथवा किराए पर लेना ।
 - प्रशिक्षुओं को ग्लाइडर, मोटर ग्लाइडर तथा फिक्सड विंग वायुयानों के लिए योग्य विमान चालकों के रूप में तैयार करना ।
 - उड़्डयन संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा विमानों के अनुरक्षण हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास ।

4. उपरोक्त समिति के प्रारंभिक corpus fund के निर्माण हेतु रु. 10.00 करोड़ मात्र के एकबारीय प्रावधान का प्रस्ताव है। साथ ही समिति के गठन एवं संचालन के क्रम में प्रथम 05 वर्षों के लिए आय-व्यय की अंतर राशि अर्थात् शुद्ध हानि की प्रतिपूर्ति (Viability Gap Funding) नागर विमानन प्रभाग द्वारा वहन किया जायेगा। गठन के 05 वर्षों के अंदर समिति के self sustainable बनने का लक्ष्य निर्धारित है।
5. Corpus fund के निर्माण तथा Viability Gap Funding की राशि का व्यय वहन माँग संख्या-08-नागर विमानन, राज्य योजना मुख्यशीर्ष-3053-नागर विमानन, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण तथा शिक्षा के अंतर्गत गठित नए उपशीर्ष (झारखण्ड उड्डयन संस्थान) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. समिति के Memorandum of Association तथा तत्संबंधी Rules & Regulations परिशिष्ट-“क” के रूप में संलग्न है।
7. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-716, दिनांक-29.09.2022 के क्रम में दिनांक-29.09.2022 की बैठक के मद सं.-18 के रूप में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव
